(90)

संख्या– / II–2013–03(06)/2012

प्रेषक,

विजय कुमार ढ़ौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 08 जनवरी, 2013

विषय : **वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2824/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 13.08.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आय–व्ययक के अनुदान सं0 20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष में कार्य मदों के लिए **संलग्नक–1** में अंकित विवरणानुसार ₹ 25.50 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) आहरण एवं व्यय नियमानुसार किश्तों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 आदि सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(iv) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

(v) धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किश्तों में किया जाय।

(vi) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 एवं शासनादेश सं0–321/ XXVII(1)/2012, दि0–19.06.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत **संलग्नक–1** में वर्णित शीर्षकों/उपशीर्षकों के अन्तर्गत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सं0–663/XXVII(1)/2012, दि0– 02 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
अपर सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या– 72, (1)/ II–2013–03(06)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुँमायू मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या– 72 / II–2013–03(06)/2012, दिनांक 08 जनवरी, 2013 संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	मद सं0/नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	राजस्व लेखाः–			
1	**2702–लघु सिंचाई–03–रखरखाव**			
	101–जल टंकी–02–अन्य रखरखाव व्यय			
	29–अनुरक्षण	1050	350	350
2	**2702–लघु सिंचाई–03–रखरखव–103–नलकूप**			
	03–अनुरक्षण कार्य			
	09–विद्युत देय	2500	––	2200
	योग–2702	**3550**	**350**	**2550**

(₹ पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।